न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 02.07.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00151

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री उदा पिता देवा जाति डांगी, निवासी पिनोदड़ा, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 17(क) राजस्थान उप निवेशन (मध्यम एवं लघ ुपरियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1968 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन सलाहकार कमेटी, बडीसादडी बमिसल क्रमांक 245/92 आवंटन दिनांक 15.06.1992

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 16.11.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 17(क) राजस्थान उप निवेशन (मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन किया कि मौजा पिनोदड़ा की बिलानाम आराजी नम्बर

169 रकबा 95 बीघा 05 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से विपक्षी को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा जरिये मिसल नम्बर 245/92 से दिनांक 15.06.1992 को आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 252 दिनांक 31.05.1995 को विपक्षी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षी का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी को सूचना पत्र तामील हो जाने के बावजूद भी विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी विपक्षी का कब्जा नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तलबीदा आवंटन पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा विपक्षी को ग्राम पिनोदडा की बिलानाम आराजी संख्या 169 रकबा 95.05 बीघा में से 1.00 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार मण्डल के मौका पर्चा दिनांक 23.02.2018 से होती है।

पटवार हल्का पुनावली ने अपने मौका पर्चा दिनांक 23.02.2018 में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा-काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा काश्त करना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, बडीसादडी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 169 रकबा 95.05 बीघा में से 1.00 बीघा (जिसके नवीन आराजी संख्या 294 रकबा 0.21 हैक्टेयर) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)